Rs.5 INDIA FIVE RUPEES Rs.5 INDIA FIVE RUPEES 5 रु. भारत पाँच रुपये Rs.5 5 रु. INDIA भारत FIVE RUPEES पाँच रुपये Rs.5 INDIA FIVE RUPEES

न्यायालय श्रीमान सदस्य महोदय राजस्व मण्डल केम्प उज्जैन

PBR/निगरानी/रतलाम/भू.रा./2017/3608

गणपतलाल पिता रामेश्वरजी पाटीदार आयू करीब 60 साल
निवासी ग्राम हनुमन्तिया तहसील जावरा जिला रतलाम :———प्रार्थी

बनाम

श्री संदीप मेहता अभि. उज्जैन पर प्रस्तुत 21-9-17

1. अरविन्द पिता मांगीलाल जाति पाटीदार आयू 32 साल
2. अरूण पिता चन्द्रशेखर जाति पाटीदार आयू करीब 24 साल
3. बालाराम पिता रामेश्वर पाटीदार आयू 62 साल

तीनो निवासीगण ग्राम हनुमन्तिया तहसील जावरा
जिला रतलाम :—— **प्रतिप्रार्थीगण**

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.स. 1959 अधिनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार महोदय टप्पा ढोढर तहसील जावरा के प्रकरण कमांक 24अ6/16—17 आदेश दिनांक 14.9.2017 से असन्तुष्ट होकर यह निगरानी प्रस्तुत है।

(संदीप मेहता) 21/9/17

मान्यवर महोदय,

प्रार्थी कि और से निगरानी निम्न आधारो पर प्रस्तुत है जिसका सक्षिप्त विवरण इस प्रकार है :—

1. यह है कि प्रार्थी (आपत्तिकर्ता) ने अधिनस्थ न्यायालय श्रीमान नायब तहसीलदार महोदय टप्पा ढोढर तहसील जावरा जिला रतलाम मै प्रकरण कमांक 24अ6/2016—2017 मै धारा 32 म.प्र.भू.रा.स के अन्तर्गत एक आवेदन पत्र आपत्ति के रूप मै प्रस्तुत किया तथा न्यायालय श्रीमान से निवेदन किया की प्रतिवादी क्रमांक 3 जो भूमि सर्वे नम्बर 347 की भूमि मे से रकबा 0.50 रजिस्टर्ड विकय पत्र द्वारा विकय की है तथा रजिस्टर्ड विकय दिनांक को प्रतिप्रार्थी क्रमांक 3 ने पूरानी खसरा खाता नकल रजिस्टार कार्यालय मै प्रस्तुत कर विकय पत्र प्रतिप्रार्थी कमांक 1,2को सम्पादीत कर दिया जबकि विकय दिनांक 28.4.2016 को भूमि सर्वे नम्बर 347/1 रकबा 1 हेक्टर दर्ज रिकार्ड प्रतिप्रार्थी क्रमांक 3 के नाम दर्ज था परन्तु प्रतिप्रार्थी ने बनावटी विकय पत्र बिना प्रतिफल के प्रतिप्रार्थी कमांक 1,2के पक्ष मै कर दिया उस दिनांक भूमि सर्वे नम्बर 347/1 का प्रतिप्रार्थी कमांक 3 का नाम दर्ज था इसी बिच प्रतिप्रार्थी कमांक 1,2ने उक्त बनावटी विकय पत्र के आधार पर नायब तहसीलदार महोदय ढोढर के न्यायालय मै धारा 109,110 म.प्र.भू.रा.स. के अन्तर्गत प्रस्तुत किया जिसमे प्रार्थी ने आपत्ति प्रस्तुत कर निवेदन किया की प्रतिप्रार्थी कमांक 3 ने राजस्व रिकार्ड मै पेत्रीक कषि भमियो को राजस्व कर्मचारीयो से साठ गाठ कर अपने नाम

गणपतलाल

XXIX(a)-BR(H)-11

38

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - पीबीआर/निगरानी/रतलाम/भू.रा./2017/3608

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
10/1/19	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री संदीप मेहता उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी नायब तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत नायब तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 24.4.19 को कलेक्टर, जिला रतलाम के समक्ष उपस्थित हों। (3) **प्रशासकीय सदस्य**	